

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय

जयपुर।

सं. एनडब्ल्यूआर-एचक्यू0ओपीटीजी(संवनि)/6/2021

दिनांक 11.03.2025

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक – अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषय: तूफान, तेज हवा और तेज धूलभरी आँधी के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या-3

स.नि.2.11(1) तूफान, तेज हवा और तेज धूलभरी आँधी के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ:-

- (i) जब मौसम विभाग से चक्रवात, तूफान या तेज हवा की पूर्व सूचना देते हुए चेतावनी संदेश प्राप्त हो जाये और/या इस बात की समूचित आशंका हो कि तेज तूफान आने वाला है जिससे यात्रियों, गाड़ियों आदि की संरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो स्टेशन मास्टर, जब तक की तूफान थम ना जाये और वह गाड़ियों के संचालन को निरापद न समझे, गाड़ी के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट से परामर्श करके गाड़ी को रोक देगा और उसके स्टेशन पर आने वाली गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से भी मना कर देगा।
- (ii) यदि कोई चलती हुई गाड़ी ऐसे चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाये जिसकी गति लोको पायलट की राय में इतनी तेज हो कि उससे गाड़ी की संरक्षा खतरे में पड़ सकती हो तो वह अपनी गाड़ी की गति को तत्काल नियंत्रित करेगा और गाड़ी को पहले सुविधाजनक स्थान पर रोक देगा तथा यथासंभव यह ध्यान रखेगा कि गाड़ी तीव्र मोड़ों, ऊँचे तटबंधों और पुलों (इसमें उनके पहुँच मार्ग शामिल हैं) पर न रोकੀ जाए। गति को नियंत्रित करते समय और गाड़ी को रोकते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी बड़ी सावधानी से और बिना झटके से रोकेगा। वह गाड़ी को ट्रेन मैनेजर के परामर्श से तभी पुनः चलाएगा जब चक्रवात, तूफान या तेज हवा थम जाए और आगे बढ़ना निरापद समझा जाए।
- (iii) ट्रेन मैनेजर तथा लोको पायलट गाड़ी में यात्रा कर रहे रेलकर्मचारियों के सहयोग से यह देखने का प्रयास करेंगे कि यात्रियों द्वारा सवारी डिब्बों के दरवाजे और खिड़कियाँ खुले रखे जाते हैं ताकि उनसे होकर तेज हवा निर्वाध रूप से गुजर सके।
- (iv) लम्बी अवधि के भयंकर धूल भरे तूफान के मामले में, जहाँ रेल की सतह पर धूल रेल की ऊँचाई तक पहुँचने की सम्भावना हो तो सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्रेक की पेट्रोलिंग शुरू कर देना चाहिये।

गाड़ी के लोको पायलट द्वारा धूल के एकत्रित होने की जानकारी होने पर वह ऐसी प्रतिबंधित गति से चलेगा कि वह रेल के बगल में एकत्रित धूल की स्थिति को जान सके। यदि कोई असुरक्षित स्थिति पायी जाती है तो वह अगले स्टेशन को सूचित करेगा।

स.नि.2.11(2) लदे हुए/खाली डबल स्टेक कंटेनरों के संचालन के मामलों में जोखिम वाले स्थलों के निकटवर्ती स्टेशनों में से किन्हीं एक स्टेशन और विशेषकर चयनित पुलों पर जहाँ वायु का वेग मापने के लिए वायु वेग मापी यंत्र लगाये गए हों और वहाँ 50 किमीप्रघं से अधिक वायु का वेग हो तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा-

1. स्टेशन मास्टर तुरंत खण्ड नियंत्रक और दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को गाड़ियों का संचालन नियंत्रित करने के लिए तत्काल सूचित करेगा।

2. खण्ड के बीच चल रही गाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टर गाड़ी के चालक व ट्रेन मैनेजर को वायु के वेग के बारे में उपलब्ध संचार साधनों द्वारा यथा संभव सूचना उपलब्ध करायेगा। इसके बाद गाड़ी के चालक व ट्रेन मैनेजर निम्नलिखित निर्देशानुसार गाड़ी का संचालन करेंगे—  
जब कंटेनर खाली या लदे हुए हो, जब भी भूमि स्तर से 10 मीटर ऊपर वायु का वेग 50 किमीप्रघं या उससे अधिक हो जाता है तो ब्लॉक सेक्शन साफ करने के लिए गाड़ी को 30 किमीप्रघं की गति से चलाया जाये और निकटतम स्टेशन/यार्ड पर गाड़ी खड़ी की जाये।
  3. यदि हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे से अधिक है और...
    - (क) स्टेशन पर डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन खड़ी है तो स्टेशन मास्टर उस डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन को नहीं चलायेगा, न ही वह उस लाइन, जिस पर यह डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन खड़ी है, से आसन्न किसी लाइन से किसी अन्य ट्रेन की आवाजाही की अनुमति देगा। आसन्न लाइनों के अलावा अन्य लाइन से गुजरने वाली ट्रेन को 30 किमी प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से चलाया जाएगा। स्टेशन मास्टर निकटवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षारत किसी भी अन्य डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को अपने स्टेशन पर आने के लिए लाइन क्लीयर की अनुमति नहीं देगा।
    - (ख) दोहरी लाइन पर, यदि एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, उपरोक्त पैरा 2.11(2)(ii) के अंतर्गत, सेक्शन क्लियर कर रही है, तो स्टेशन मास्टर, जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पूर्ण रूप से सभी कंटेनरों के साथ आगमन हो गया है, अपने स्टेशन से किसी भी ट्रेन को उस दिशा, जहां से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेक्शन क्लियर कर रही है, की ओर जाने की अनुमति नहीं देगा।
    - (ग) यदि कोई ट्रेन पहले से ही स्टेशन पर खड़ी है, तो स्टेशन मास्टर उपरोक्त पैरा 2.11(2)(ii) के अंतर्गत आ रही डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को आसन्न लाइनों पर नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को होम सिगनल से बाहर रखा जाएगा।
  4. वायु का वेग 50 किमीप्रघं से पुनः कम हो जाने पर स्टेशन मास्टर खण्ड नियंत्रक और निकटवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर के परामर्श से गाड़ियों के सामान्य संचालन को बहाल करेगा।
  5. यदि स्टेशन मास्टर तथा लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर के बीच संचार नहीं होता है तो सहायक नियम 2.11(1)(ii) का पालन किया जाए।
  6. इंजीनियरिंग विभाग अपेक्षित स्थलों और जोखिम वाले स्थलों/स्टेशनों पर वायु वेग मापी यंत्र स्थापित कराये। स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ऑडियो-वीडियो साधित उपकरण की व्यवस्था की जाये। निर्धारित अंतराल पर निरीक्षणों के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग और मनोनीत इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा वायु वेग मापक ऑडियो-वीडियो उपकरणों के रखरखाव को सुनिश्चित करेंगे और इनका रिकॉर्ड स्टेशनों पर रखा जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा एनीमोमीटर की भुजा में खराबी संज्ञान में आने के मामले में, वह तुरंत ही लिखित रूप से उसे ठीक कराने के लिए नामित इंजीनियरिंग अधिकारी को सूचित करेगा।
- नोट:- उ.प.रे. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सहायक नियम 2.11 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये एवं शंका होने पर अंग्रेजी संदर्भ देखें।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)

Digitally Signed by Gopal  
Krishna Sharma

Date: 12-03-2025 15:36:39

Reason: Approved